

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/2/2022-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 02/01/2023

प्रेषित: मनोनीत मालिक,
वाटेरा चुनापत्थर खान,
मेसर्स महाराजा इंटरनेशनल (यूनिट ऑफ पवन सिमेन्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड),
नीयर सेल्स टैक्स चेक पोस्ट, हाइवै-14
पोस्ट: अमीरगढ़, जिला: बनासकांठा,
गुजरात: 385130
ईमेल: (cement.acl@gmail.com, mcapl@sify.com)

विषय: राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित आपकी वाटेरा चुनापत्थर खान (ML number:53/2011, क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 16/12/2022 by undersigned in presence of Sri Rahul Goyal, Signatory authority and Sri C. K. Choudhary Geologist of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 27/03/2018 to the extent given below: (1) Exploratory drilling proposed during the year 2019-20 and 2020-21 by 14 number of exploratory Bore holes were not carried out. (2) Development was proposed between the grids S185 to S377/W45 to W141, whereas development was carried out between the grid S150 to S310/W55 to E25, resulting deviation in proposed location of development. (3) Plantation work proposed over 0.02 hectare with 50 numbers of saplings is not carried out.
26(2)	Yearly report on extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan for the year 2021-22 is not submitted to the Regional Controller of Mines, Ajmer.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दिलीप जैन)
वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

I/2525/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही।
4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर